

प्रेषक,

जी0पी0 कमल,
विशेष सचिव
30प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2018

विषय-अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 2408-03-अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत विभिन्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0- ले0 शा0 /2152/173/आय-व्ययक अनु0/2018 दिनांक 9-3-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लेखाशीर्षक 2408-अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मानक मदों में रू0 101.79 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखाशीर्षक 2408-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013-09-राशन कार्डों में दर्ज आधार सीडिंग के मानक मद-42-अन्य व्यय में हो रही संभावित बचत रू0 2000.00 लाख में से लेखाशीर्षक 2408-03- अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि रू0 74.79 लाख (रू0 चौहत्तर लाख उन्चासी हजार मात्र) की अतिरिक्त बजट व्यवस्था निम्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

| लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार -01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि का आवंटन | |
|---|--------|
| मानक मद | धनराशि |
| 07-मानदेय | 5.99 |
| 08-कार्यालय व्यय | 00.00 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 00.00 |
| 17-कार्यालय किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व | 68.80 |
| योग | 74.79 |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- 07-मानदेय मद में उक्तानुसार व्यवस्थित धनराशि रू0 5.99 लाख में से रू0 2.99 लाख खाद्यायुक्त के निवर्तन पर एवं रू0 3.00 लाख शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने हेतु आवंटित किया जाता है।
- 4- इस संबंध में शासनादेश सं0-12/2017/124/29-3-2017-ब 707/2016 दिनांक 7-4-2017 तथा शासनादेश सं0-17/2017/435/29-3-2017-ब 707/2016 टीसी दिनांक 11-8-2017 में निहित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।
- 5- उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) के अन्तर्गत मानक मद 07-मानदेय एवं 17-कार्यालय किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व में सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0- ई-7-209 /दस-2018 दिनांक 23-3-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0पी0 कमल)

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
- 5- अनुभाग अधिकारी लेखा अनुभाग खाद्य एवं रसद विभाग 30प्र0 शासन।
- 6- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- कोषाधिकारी कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 30प्र0 शासन।
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जी0पी0 कमल)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।